FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निशान सिंह **बनाम** राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट, प्रकरण संख्या 90 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025 / 479

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2025	प्रार्थी निशान सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एच तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 2419 दिनांक 26.09.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 29 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 68/67 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम 29 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू. अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 68/67 में सतपाल सिंह पुत्र गुरा सिंह के नाम मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 23/2 की 0.228 हैक्टेयर भूमि का अलग से खाता दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक इन्तकाल संख्या 430, 431 जरिए में बैयनामा मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 23/2 का बेचान सतपाल सिंह पुत्र गुरासिंह जाति जटसिख को किया गया था। परन्तु सहवन से ऑनलाईन जमाबन्दी में सतपाल सिंह पुत्र गुरा सिंह का नाम खाता संख्या 68 में बोल रहा है। जबकि उनका खाता अलग बनना था। जरिए शुद्धि खाता अलग किया जाना उचित हैं। लिहाजा हस्तगत प्रकरण शुद्धि का नहीं है। खाता तकसीम का है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, के अनुसार भली-भांति साबित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	